निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण 1941 (श0)

(सं0 पटना 1344) पटना, शुक्रवार, 20 दिसम्बर 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना
20 दिसम्बर 2019

सं० 06/प्रदू0-168/2018, परि0–9375––मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 163 में संशोधन करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा–212 के अधीन यथा अपेक्षित सामान्य जानकारी के लिए संशोधन का प्रारूप अधिसूचना संख्या–6175, दिनांक 27 दिसम्बर 2010 के द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा इस संशोधन के विरूद्ध उसके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव समर्पित करने हेतु सूचना दी गयी थी।

2. उपर्युक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कोई भी आपत्ति या सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुए।

3. अतः बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 163 में संशोधन करने के लिए निम्नांकित नियम बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–(1) यह नियमावली बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 1992 के नियम 163 च (3) एवं 163 छ (4) में प्रयुक्त शब्द ''राज्य परिवहन आयुक्त'' शब्द ''जिला परिवहन पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगें।

3. उक्त नियमावली, 1992 के नियम 163 छ–(4) (ड़) में प्रयुक्त शब्द ''राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना'' शब्द ''संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमावली, 1992 के नियम 163 छ (1) में प्रयुक्त शब्द ''सचिव परिवहन विभाग'' शब्द ''राज्य परिवहन आयुक्त'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमावली, 1992 के प्रपत्र एल.टी.एस.ए. एवं एल.टी.एस.आर. में अनुज्ञापन पदाधिकारी शब्द के बाद उल्लिखित शब्द ''बिहार, पटना'' एतद्द्वारा विलोपित किए जाते हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 20th December 2019

No. 06/Pollution-168/2018, Pari-9375-- In exercise of powers conferred by section 211 of the Motor Vehicles Act. 1988 (Act 59, 1988) to make amendment in Rule 163 of the Bihar Motor Vehicles Rule, 1992, (as amended time to time) the draft amendment, was published vide notification no. 6175 dated -27th December 2010 for inviting objections and suggestions within thirty days of its publication under section 212 of the said Act.

2. No objections of suggestions have been received within the above prescribed period from the public.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 of the said Act, the governor of Bihar is pleased to make following rules to amend the Rule 163 of the Bihar Motor Vehicles, 1992 :-

1. Short title, extent and commencement. (1) These Rules may be called the Bihar Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019.

(2) It Shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. The words "State Transport Commissioner, Bihar" used in Rules 163 F (3) and 163 G (4) of the said Rules, 1992 shall be substituted by the words "District Transport Officer"

3. The words "State Transport Commissioner Bihar" used in Rules 163 G-4 (e) of the said Rules, 1992 shall be substituted by the words "concerned District Transport Officer"

4. The words "Secretary, Department of Transport" used in Rule-163G-(1) of the said rules, 1992 shall be substituted by the words "State Transport Commissioner"

5. The words "Bihar, Patna" mentioned after the words "Licence Authority" in forms LTSA and LTSR of the said Rules, 1992 and hereby omitted.

By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agrawal,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1344-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in